

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्र कालवी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददाई व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित खानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 12.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का रहेगा।

1. वादी मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 2774/27 रकबा 7.4462 हैक्टेयर में से 1.7806 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. केशर पत्नी थानाराम, खेमाराम पुत्र दुलाराम, भंवरू पुत्र दुलाराम, मांगीलाल पुत्र थानाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2774/27 रकबा 7.4462 हैक्टेयर में से 5.6656 हैक्टेयर रखा गया है।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
जायल (नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
गालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे
स्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ... 01/12/2019 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
गेस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
कमनामा					
तफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		

गट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
देलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
जायल (नागौर)